संख्या: 12/2026/492/35-4-2026/35-4002(003)/34/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 28 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1462/त्व0आ0वि0यो0/आगणन/2025-26 दिनांकः 17.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुरमें निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू.**8702.51** लाख (रूपये **सत्तासी करोड़ दो लाख इक्यावन हज़ार** मात्र, जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **2173.00** लाख (रूपये **इक्कीस करोड़ तिहत्तर लाख** मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	विधान सभा कैम्पियरगंज के ब्लाक कैम्पियरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा चैरी में चैरी टोल से राजस्व ग्राम परसा तिवारी टोले तक पिच रोड का निर्माण कार्य ।	0.83	51.61	13.00	ग्रा.अ.वि.
2	पिपराइच विधान सभा के विकास खण्ड पिपराइच में माधोपुर नहर पिच से रामपुर पिच तक पिच का निर्माण कार्य ।	1.2	136.52	34.00	ग्रा.अ.वि.
3	विधान सभा पिपराइच के अन्तर्गत विकास खण्ड चरगावाँ के अन्तर्गत ग्राम सभा जंगल धूषण टोला हसनगंज निकट महाराणा प्रताप डिग्री कालेज (न्यू कालोनी) श्री मनीष गुप्ता जी के मकान से श्री रणधीर सिंह जी व श्री संजू सिंह जी के मकान होते हुए श्री आशीष कुमार गुप्ता जी के मकान तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य ।	0.59	57.3	14.00	ग्रा.अ.वि.
4	पिपराइच विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड पिपराइच में बेला के अकटहवा टोला पिच रोड से पिपरा बसन्त होते हुए मटिहनिया पिच तक पिच का निर्माण कार्य ।	1.33	108.81	27.00	ग्रा.अ.वि.
5	चरगांवा ब्लाक के अन्तर्गत ममता राय के घर से श्री जे०सी० शाही के मकान तक व श्री के0पी0 सिंह के मकान से श्री प्रेम प्रकाश चैरसिया के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ।	0.6	161.44	40.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
6	वि0ख0-गगहा, ग्राम-बेलकुर में बेलवा कौआडीह मार्ग से बेलकुर दलित बस्ती व कौआडीह सम्पर्क मार्ग।	1.5	147.76	37.00	ग्रा.अ.वि.
7	वि0ख0-उरूवा, दशवतपुर उरूवा मुख्य मार्ग से परसा तिवारी सम्पर्क मार्ग।	1.2	111.27	28.00	ग्रा.अ.वि.
8	वि0ख0-भलुअनी, ग्राम-जददुपरसिया मे पिच सड़क से जददुपरसिया आबादी सम्पर्क मार्ग।	0.92	54.75	14.00	ग्रा.अ.वि.
9	वि0ख0-भागलपुर, ग्राम देवसिया (मईल-भागलपुर मार्ग) मुख्य सडक से गोण्डवली सम्पर्क मार्ग।	2.2	145.39	36.00	ग्रा.अ.वि.
10	वि0ख0-रूद्रपुर, ग्राम-जाफराबाद ब्रहमस्थान से महेशपुर पिच सड़क सम्पर्क मार्ग।	0.89	53.16	13.00	ग्रा.अ.वि.
11	**कृष्णा नगर प्राइवेट कालोनी के मुख्य मार्ग पर हा0मि0प्ला0 से पिच रोड एवं गलियों में सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।**	**1.55**	**290.49**	**73.00**	**ग्रा.अ.वि.**
12	**वार्ड नं0-07 तिकोनिया नं0-1 गोरखपुर पिपराइच मार्ग से जानकीपुरम मुख्य सड़क पर हा0मि0प्ला0 से पिच रोड, एवं गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।**	**2**	**205.95**	**51.00**	**ग्रा.अ.वि.**
13	**वार्ड नं0-18 के रानीनगर, लालगंज मौर्या टोला एवं विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।**	**1**	**238.28**	**60.00**	**ग्रा.अ.वि.**
14	**देवरिया मेन रोड खोढ़ढा टोला श्री सच्चितानन्द तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।**	**0.47**	**107.7**	**27.00**	**ग्रा.अ.वि.**
15	**वार्ड नं0-07 महादेव झारखण्डी टुकड़ा नं0-2 नंदानगर में रेलवे क्रासिंग से बी0पी0 शर्मा के घर होते हुए लैश मोहम्मद के घर एवं सम्बन्धित गलियों में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।**	**1.59**	**331.61**	**83.00**	**ग्रा.अ.वि.**
16	**वार्ड नं0-35 सालिकराम नगर मानस विहार, षिवपुर एवं विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।**	**1.2**	**293.97**	**73.00**	**ग्रा.अ.वि.**
17	**वार्ड नं0-07 नंदानगर में मुसई के घर से सेकर-बी0 चैरहा तक एंव सम्बद्व गलियों में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।**	**1.14**	**252.82**	**63.00**	**ग्रा.अ.वि.**
18	विकास खण्ड-भरोहिया अन्तर्गत ग्राम सभा लक्ष्मीपुर में बन्दरहा विस्तार बांध श्री रामदरश निषाद के घर से ग्राम सभा बुढ़ेली में दिनेश उपाध्याय के घर तक लेपन का कार्य।	2.94	260.75	65.00	ग्रा.अ.वि.
19	विकास खण्ड-जंगल कौड़िया ग्राम सभा-भौरामल्ल में टोला ताजडीह से भौरामल्ल तक पिच रोड का कार्य।	2.94	242.58	61.00	ग्रा.अ.वि.
20	ग्रामसभा खुटहन खास में सन्नु पासी टोला से पतरी सिंह के छावनी तक लेपन कार्य ।	0.51	28.09	7.00	ग्रा.अ.वि.
21	ग्रामसभा जंगल अहमद अली शाह में बसंतपुर टोले पर पिच रोड से रामपुर प्राथमिक विद्यालय के आगे पिच तक लेपन कार्य ।	0.6	32.38	8.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
22	ग्रामसभा जं० अयोध्या प्रसाद के शिवरामपुर टोले पर पिच रोड से भक्तिअहवा टोले तक लेपन कार्य।	0.65	35.96	9.00	ग्रा.अ.वि.
23	ग्रामसभा करमौरा में नहर पटरी पिच रोड से अमर सिंह पब्लिक स्कूल होते हुए जनपद महराजगंज की सीमा तक लेपन कार्य।	1.3	74.18	19.00	ग्रा.अ.वि.
24	ग्रामसभा सिधौंली पानी की टंकी से सरण्डा गांव पिच रोड तक लेपन कार्य।	1.05	58.61	15.00	ग्रा.अ.वि.
25	ग्रामसभा मंगलपुर में पीपीगंज मार्ग से पंचायत भवन पिच मार्ग तक लेपन एवं आन्तरिक गलियो में इण्टरलाकिंग कार्य।	0.98	48.02	12.00	ग्रा.अ.वि.
26	ग्रामसभा जंगल एकला नं० 2 के पिराड़ा टोला के आन्तरिक गलियो में इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	1.79	86	22.00	ग्रा.अ.वि.
27	ग्रामसभा मौलाखोर में कैथवलिया मार्ग से गंगासागर के घर तक एवं संगीता के घर से काली मंदिर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	0.61	39.69	10.00	ग्रा.अ.वि.
28	ग्रामसभा फुलवरिया में पक्की सड़क से सवारे के घर एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	0.66	40.88	10.00	ग्रा.अ.वि.
29	ग्रामसभा जंगल नाकिन में सरैया बासंस्थान मार्ग से रामसिंह के घर होते हुए नाकिन सी०सी० रोड तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	0.51	32.39	8.00	ग्रा.अ.वि.
30	ग्रामसभा महराजगंज में देवपुर टोले पर पीपीगंज मार्ग से गब्बर तिवारी, सुनील तिवारी एवं केशव तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	0.58	36.97	9.00	ग्रा.अ.वि.
31	विकास खण्ड चरगावा के बनग्राम जंगल तिन्कोनिया नं0-3 सुखारी निषाद के घर से बांके निषाद के घर होते हुए लवट निषाद के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	1	109.23	27.00	ग्रा.अ.वि.
32	विकास खण्ड पिपरौली के ग्राम पिपरी में प्रधानमंत्री सड़क से नौसड़ तक विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.7	81.65	20.00	ग्रा.अ.वि.
33	विकास खण्ड खोराबार के रामपुर रा पिच से उमेश गुप्ता मकान तक एवं विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.76	87.86	22.00	ग्रा.अ.वि.
34	विकास खण्ड खोराबार नौवा औउवल बिनहा पिच से समयमाता स्थान होते हुए बिनहा गाव तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.5	59.36	15.00	ग्रा.अ.वि.
35	विकास खण्ड खोराबार ग्राम डांगीपार पिच रोड से उपथौली पिच रोड तक विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.6	65.37	16.00	ग्रा.अ.वि.
36	विकास खण्ड खोराबार के ग्राम मोतीराम अड्डा में कुसमही रोड रिमिनी सिटी के विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.5	57	14.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
37	विकास खण्ड पिपरौली के ग्राम गुरौली बुजुर्ग में गोरखपुर खजनी मार्ग से महेन्द्र के घर तक एवं विभिन्न गलियों मे सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.5	52.57	13.00	ग्रा.अ.वि.
38	विकास खण्ड बांसगांव गोरसैरा से जगन्नाथपुर होते हुए भिउरी बाईपास तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	2.20	189.63	47.00	ग्रा.अ.वि.
39	विकास खण्ड खजनी में राममिलन केवट के घर से सतुआभार सिवान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.54	60.04	15.00	ग्रा.अ.वि.
40	विकास खण्ड सहजनवाँ ग्राम भरवल में मदुई पिच रोड से भरवल पिच रोड होते हुए रामेदव निषाद के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	2.00	185.24	46.00	ग्रा.अ.वि.
41	विकास खण्ड पाली सिसई में पिच रोड से विद्यालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	0.80	65.46	16.00	ग्रा.अ.वि.
42	विकास खण्ड खजनी में पाकड़घाट से बनकटा कुआनों पुल तक पेंटिंग कार्य ।	2.9	224.84	56.00	ग्रा.अ.वि.
43	विकास खण्ड खजनी में बसतिया गोपीपुर मार्ग रजवल से गोरी होते करमदेवा वाया कटया मार्ग पर मिट्टी से लेपन कार्य ।	2.8	202.09	51.00	ग्रा.अ.वि.
44	वि0 ख0- सरदार नगर ग्रा0पं0- अवधपुर में जालौन बाउन्द्री से प्राथमिक विद्यालय अवधपुर होते हुए सरदार नगर स्टेशन तक रोड का निर्माण कार्य ।	0.63	44.91	11.00	ग्रा.अ.वि.
45	वि0 ख0- सरदार नगर ग्रा0पं0 - विशम्भरपुर में कोईरान टोला से रामलाल साहनी के घर होते हुए अकटहवा घाट तक रोड का निर्माण कार्य	1.3	104.79	26.00	ग्रा.अ.वि.
46	वि0 ख0- सरदार नगर ग्रा0पं0 - शत्रुधनपुर में मेन रोड से तरकुलहा माता स्थान तक रोड का निर्माण कार्य ।	1.78	142.43	36.00	ग्रा.अ.वि.
47	वि० ख०-सरदार नगर ग्रा0पं0- गौनर में उसरहा टोला से सकाराती टोला तक रोड का निर्माण कार्य ।	2.05	190.98	48.00	ग्रा.अ.वि.
48	विकास खण्ड गगहा ग्राम बेला में सागर यादव के खेत से लाहीदाड़ी होते हुए अवनीश मिश्रा के खेत तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	1.7	128.43	32.00	ग्रा.अ.वि.
49	विकास खण्ड गगहा ग्राम पंचायत रियाव के हाटा गरया कोल मार्ग से असवनपार पिच रोड तक पिच कार्य।	2	161.99	40.00	ग्रा.अ.वि.
50	विकास खण्ड कौड़ीराम ग्राम सुअड्डा नगवा पिच मार्ग से सूर्यदेव मन्दिर तक पिच कार्य।	0.7	56.33	14.00	ग्रा.अ.वि.
51	विकास खण्ड कौड़ीराम ग्राम जानीपुर दीपनारायण के घर से सहकारी समिति व संजय नायक के घर से जानीपुर नेवरा मेन रोड तक पिच कार्य।	1.1	86.22	22.00	ग्रा.अ.वि.
52	विकास खण्ड बासगाव लखनौरा में शिवमन्दिर पिच रोड से पाली मड़ई तक पिच कार्य।	0.5	38.48	10.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
53	विकास खण्ड बासगाव ग्राम गोड़सरी में कौड़ीराम बासगाव सम्पर्क मार्ग से रामप्रकट शुक्ला के घर होते हुए बेदौली गाॅव तक पिच कार्य।	0.5	39	10.00	ग्रा.अ.वि.
54	कोहरा खुर्द पिच से राम बालक चन्द के टोले तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.7	38.7	10.00	ग्रा.अ.वि.
55	कोइली खाल पिच से राधेश्याम निषाद के टोले तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.5	43.29	11.00	ग्रा.अ.वि.
56	मैभरा पिच रोड से नौका टोला सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.52	42.33	11.00	ग्रा.अ.वि.
57	जयन हरिजन के टोले से सिसई पिच रोड से बरयीपार कलाधर मिश्र के घर तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.63	46.3	12.00	ग्रा.अ.वि.
58	ग्राम कतलही (ब्लाक बड़हलगंज) पिच रोड से राजेश यादव के घर तथा पिच से राजेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.5	34.2	9.00	ग्रा.अ.वि.
59	बनवारपार पिच से दलित बस्ती राजमंगल प्रसाद के टोले तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.5	36.16	9.00	ग्रा.अ.वि.
60	ग्राम विमुटी से पुष्कर खुर्द मौर्य बस्ती तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.7	33.97	8.00	ग्रा.अ.वि.
61	मेरापुर (रहदौली) पिच से अर्जुन पाल के टोले से होते हुए महेन्द्र प्रजापित (चोडर) के टोले तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.8	44.82	11.00	ग्रा.अ.वि.
62	रजहटा पंचायत भवन से दक्षिण जयप्रकाश दूबे के घर होते दोर्महा पिच तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.7	34.45	9.00	ग्रा.अ.वि.
63	ग्राम औझैवली में श्री परशुराम शुक्ला के घर से ब्रम्ह बाबा के स्थान तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.9	64.86	16.00	ग्रा.अ.वि.
64	सरया दलित बस्ती सड़क से शैलेन्द्र सिंह के घर सरया पिच तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.65	48.59	12.00	ग्रा.अ.वि.
65	ग्राम सरदह काली स्थान से इण्टर कालेज पिच तक सी0सी0 रोड़/पिच सडक का निर्माण कार्य।	0.75	45.52	11.00	ग्रा.अ.वि.
66	विकास खण्ड ब्रम्हपुर ग्रा0पं0-विश्ष्वनाथपुर में अंडा फार्म से गरेड़िया टोला में रामजी के ट्यूबेल तक रोड का निर्माण कार्य।	1.2	100.13	25.00	ग्रा.अ.वि.
67	विकास खण्ड ब्रम्हपुर ग्रा0पं0-विश्वनाथपुर में जोगी दास कुटी से गुलाब निषाद के घर तक रोड का निर्माण कार्य।	0.6	43.72	11.00	ग्रा.अ.वि.
68	विकास खण्ड ब्रम्हपुर ग्रा0पं0-विश्वनाथपुर में आमघाट पुल से गरेड़िया टोला तक रोड का निर्माण कार्य।	0.92	69.42	17.00	ग्रा.अ.वि.
69	विकास खण्ड ब्रम्हपुर ग्रा0पं0-भकुरहा के गोबरोल चैराहा से प्राथमिक विद्यालय रानापार तक रोड का निर्माण कार्य।	1.5	142.78	36.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
70	विकास खण्ड ब्रम्हपुर ग्रा0पं0-आमडीहा में मेन रोड से संत विश्वकर्मा तक रोड का निर्माण कार्य।	1.2	92.15	23.00	ग्रा.अ.वि.
71	विकास खण्ड पिपराइच ग्रा0पं0-बहरामपुर में गोबरी टोला से काली मन्दिर तक रोड का निर्माण कार्य।	0.7	49.65	12.00	ग्रा.अ.वि.
72	विकास खण्ड-बड़हलगंज, ददरी, रामअधार चैधरी के घर से खुटभार ढाले तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	2.5	181.21	45.00	ग्रा.अ.वि.
73	विकास खण्ड-गोला में पहाड़पुर-कोहरी कोहरा सम्पर्क मार्ग से लगुनही में शैलेन्द्र ओझा के घर तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	0.6	37.35	9.00	ग्रा.अ.वि.
74	विकास खण्ड-बेलघाट में जैती निमिया जी स्कूल से गौरीगंज सिवान तक शून्य लेपन कार्य।	2	168.48	42.00	ग्रा.अ.वि.
75	विकास खण्ड-सहजनवा के ग्राम-बुदहट में टोला सरैया से भैंसहिया मार्ग तक शून्य लेपन कार्य।	1.3	111.22	28.00	ग्रा.अ.वि.
76	विकास खण्ड खजनी माल्हनपार पिच रोड से पैसा बिरजानन्द के घर होते हुए सारगंधर दूबे के घर से घैसड़ा बढ़नी पिच मार्ग तक सी0सी0रोड का कार्य।	1.15	92.23	23.00	ग्रा.अ.वि.
77	विकास खण्ड बासगॉव डोमरघाट में हनुमान मन्दिर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए बृजलाल के घर तक सी0सी0रोड का कार्य।	0.6	49.69	12.00	ग्रा.अ.वि.
78	विकास खण्ड पिपरौली हाइवे रोड यदुबंशी ढाबा से संगम के घर होते हुए गोपला मद्वेशिया के घर तक पिच रोड का कार्य।	0.9	67.21	17.00	ग्रा.अ.वि.
79	विकास खण्ड सहजनवां ग्राम पंचायत बनगावों में पूरब पोखरे पुलिया से चिरैयाडाड़ पिच रोड तक पिच रोड का कार्य।	0.8	63.07	16.00	ग्रा.अ.वि.
80	विकास खण्ड सहजनवा ग्राम देवरिया के विशुनपुर टोले में शैलेष के घर से पिच रोड तक पिच रोड का कार्य।	0.6	44.42	11.00	ग्रा.अ.वि.
81	विकास खण्ड पाली ग्राम पुण्डा में हनुमान मन्दिर से बनोहिया पुण्डा पिच मार्ग तक पिच रोड का कार्य।	0.8	69.9	17.00	ग्रा.अ.वि.
82	विकास खण्ड सहजनवा मदुई पिच मार्ग से शंतराज के घर तक सी0सी0रोड का कार्य।	0.53	47.06	12.00	ग्रा.अ.वि.
83	विकास खण्ड पाली रिठुआखोर बिजौआ पिच मार्ग से ककुआपार नहर पुलिया तक सी0सी0रोड का कार्य।	0.75	61.11	15.00	ग्रा.अ.वि.
84	विकास खण्ड बेलघाट में बारीगॉव-उसरैन सम्पर्क मार्ग तक शून्य से लेपन कार्य ।	1.5	127.8	32.00	ग्रा.अ.वि.
85	विकास खण्ड बेलघाट में बारीगॉव से शिवपुर तक शून्य से लेपन कार्य ।	1.6	136.34	34.00	ग्रा.अ.वि.
86	विकास खण्ड- उरूवा में रानीपुर चैराहा से गंगेश धोबी के घर तक सी0सी0रोड का कार्य।	0.55	55.28	14.00	ग्रा.अ.वि.
87	विकास खण्ड उरूवा जोतभारी में प्रकाश बोरिंग से टिकरी खुर्द तक शून्य से लेपन कार्य ।	1.5	131.14	33.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
88	विकास खण्ड उरूवा में रधुपुर-नारायणपुर मार्ग तक उल्था मार्ग तक सी0सी0रोड का कार्य।	0.45	48.73	12.00	ग्रा.अ.वि.
	कुल योग:	**95.49**	**8702.51**	**2173.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त तालिका के क्रम संख्या 11 से 17 के कार्यों पर आने वाले व्यय रु 430.00 मात्र (रूपये चार करोड़ तीस लाख मात्र) को अनुदान संख्या-40 के बजट लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302 -शहरी क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य तथा शेष कार्यों पर आने वाले व्यय रु 1743.00 मात्र (रूपये सत्रह करोड़ तैंतालीस लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:12/2026/(1)/35-4-2025/35-4002(003)/34/2026,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।